राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर–302015
(दूरभाष 0141–2740735, फैक्स 0141–2742309, ई–मेल jdp-ta-rj@nic.in)

क्रमांकः– प.3 (ई) (सी–134/94)/अलेसे–।।/लिंक नं. 4599/349-51 दिनांकः– 16-6-22

श्री चन्द्रोदय श्रीमाली,
सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II,
कार्यालय निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग
जयपुर।

विषयः– अग्रिम अध्ययन की स्वीकृति।

प्रसंगः– आपका आवेदन पत्र दिनांक 23.05.2022

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में आपको इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से वर्ष 2022 में एम. ए. (ज्योतिष) की परीक्षा में राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम 1971 के प्रावधानों एवं आपके नियुक्ति आदेश में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त निम्न शर्तों के अध्यधीन सम्मिलित होने की अनुमति/स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
2. आपका पदस्थापन मुख्यालय से परिवर्तित/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग–अलग स्वीकृति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने पर आपके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
5. उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के अन्तर्गत परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
6. अध्ययन जारी रखने की स्वीकृति दिये जाने में किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल सकेगा और इस दौरान अन्यत्र स्थानांतरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन जारी रखने से दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा/व्यवधान उत्पन्न होने पर यह स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
8. अध्ययन वर्ष में उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
10. प्रशासनिक कारणों से उक्त स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकती है।

(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः– प.3 (ई) (सी–134/94)/अलेसे–।।/लिंक नं. 4599/349-51 दिनांकः– 16-6-22

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

(धीरज सिसोदिया)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–II)